Public Administration

लोक प्रशासन

Part- A (2 Marks)

मुख्य परीक्षा 2016

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख का प्रयोजन क्या है?

उ. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeaos Corpus) का शाब्दिक अर्थ है "सशरीर प्रस्तुत करना"। अनुच्छेद-32 में उल्लेखित बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति की रिहाई के लिए किया जाता है जिसको बिना कानूनी औचित्य के अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। यह रिट किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार के तत्काल निर्धारण को समक्ष बनाता है।

2. सामान्य प्रशासक से आप क्या समझते है।

उ. सामान्य प्रशासक शिक्षा के दौरान किसी विषय विशेष अथवा क्षेत्र तथा बाकी-प्रशिक्षण में विशेषज्ञता प्राप्त नहीं करते है। सिविल सेवा में आने वाला व्यक्ति किसी भी विषय में स्नातक हो सकता है क्योंकि उनका कार्य सामान्य किस्म का होता है। इसमें लगान वसूलना, कानून एवं व्यवस्था देखभाल जैसे काम शामिल है।
उदाहरण- IAS और RAS अधिकारी।

3. राजनीति-प्रशासन द्विभाजन से आप क्या समझते है?

उ. राजनीति-प्रशासन द्विभाजन का सिद्धांत लोक-प्रशासन के जनक वुडरो विल्सन ने अपने लेख 'द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन' में दिया था। उन्होंने बताया की प्रशासन राजनीति के बाहर का क्षेत्र है, यह व्यापार के क्षेत्र के समान है तथा इसका कार्य कानूनों का क्रियान्वयन है। भले ही राजनीति प्रशासन को कार्य एवं लक्ष्य बताती है, किन्तु कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

4. प्राधिकार एवं शक्ति के मध्य कोई दो अन्तर इंगित कीजिये।

उ.

प्राधिकार	शक्ति
प्राधिकार वैधानिक सत्ता है	शक्ति शारीरिक क्षमता है।
प्राधिकार संस्थागत व संगठनात्मक होता है	शक्ति व्यक्तिगत होती है।
प्राधिकार औपचारिक है।	शक्ति अनौपचारिक है।

5. राज्य सचिवालय के कोई दो कार्य लिखिये।

उ. राज्य सचिवालय का प्रमुख दायित्व मंत्रिपरिषद को नीति निर्माण में सहायता करना है। इस उद्देश्य पूर्ति के लिए आवश्यक सूचनाएं, आँकड़े तथा अन्य सामग्री उपलब्ध करवाना, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की देखरेख करना।

मुख्य परीक्षा 2018

1. प्रशासनिक संस्कृति से आपका क्या अभिप्राय है?

उ. प्रशासनिक संस्कृति से तात्पर्य किसी भी प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में संलग्न लोगों की अभिवृत्तियों, अभिरुचियों मूल्यों, व्यवहारों एवं दृष्टिकोण आदि से है।

- प्रशासनिक संस्कृति उन अभिवृत्तियों, भावनाओं, मान्यताओं विश्वासों और समाज के मूल्यों से मिलकर बनती है, जिनका सम्बन्ध प्रशासनिक व्यवस्था तथा प्रशासन से सम्बन्धित मुद्दों से होता है।

2. सिविल सेवा के मुख्य मूल्य क्या हैं?

उ. सिविल सेवा के मुख्य मूल्य- वे मूल्य है जो सिविल सेवा के आदर्शों एवं लक्ष्यों की ओर बढ़ने और साकार करने में सहायक होते हैं। नोलन कमेटी द्वारा सिविल सेवा के लिए निम्न मूल्य बताए गए हैं- सत्यनिष्ठा, नि:स्वार्थता, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेहिता, खुलापन, नेतृत्व और निष्पक्षता।

3. हेनरी फेयॉल द्वारा दिये गये प्रबंध के पाँच कार्य लिखिये।

उ. हेनरी फेयॉल द्वारा दिये गये प्रबंध पाँच कार्य -
(i) योजना बनाना। (Planning)
(ii) संगठित करना। (organizing)
(iii) आदेश देना। (commanding)
(iv) समन्वय करना। (Coordnating)
(v) नियंत्रित करना। (Controling)

4. नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कोई चार कारक लिखिये।

उ. नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक –

परम्परागत कारक	नवीन कारक
व्यक्तित्व	संचालन का प्रयोग
स्थान	सम्प्रेषण की प्रक्रियाएं एवं सूचना क्रांति
अवधि	विशेषज्ञों का उपयोग

5. शून्य काल क्या है?

उ. संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय अर्थात् दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक शून्य काल होता है।

- शून्यकाल 12 बजे प्रारम्भ होने के कारण इसे जीरो ऑवर भी कहा जाता है। इस अवधि में सांसद बिना किसी अग्रिम सूचना के राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों को उठा सकते हैं। यह भारतीय नवाचार है।

मुख्य परीक्षा 2021

1. आदेश की एकता एवं निर्देश की एकता में क्या अंतर है।

उ.

आदेश की एकता	निर्देश की एकता
आदेश की एकता के अर्थ से तात्पर्य है कि संगठन में एक कर्मचारी, एक उच्चाधिकारी से ही आदेश व रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए।	निर्देश की एकता से तात्पर्य है एक उद्देश्य की सभी गतिविधियां एक सिर एक योजना होनी चाहिए।
उद्देश्य -दोहरी अधीनता को रोकना	दोहरी गतिविधियों को रोकना
एकल कर्मचारी पर केन्द्रित	संपूर्ण संगठन पर केन्द्रित

2. प्रशासन की प्रकृति के संबंध में प्रबंधकीय दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए।

उ. प्रशासन की प्रकृति के संबंध में प्रबंधकीय दृष्टिकोण- इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन में केवल प्रबंधकीय गतिविधियां शामिल होती है। तकनीकी, लिपिक संबंधी कार्य इसमें शामिल नहीं होते हैं।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 91166 91119

जो स्वभाव से ही गैर प्रबंधकीय गतिविधियां है। अत: इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन सिर्फ ऊपर के व्यक्तियों की गतिविधियों से बनता है।

3. लेखानुदान क्या है?

उ. अगर चुनावी साल में कोई सरकार लोक लुभावने कदम की घोषणा कर दे और चुनाव के बाद उसकी सरकार नहीं बने तो नई सरकार पिछली सरकार की घोषणाओं को पूरा करने में रुचि नहीं लेती है। इस हिसाब से सरकार बजट में सरकार के बाकी बचे कार्यकाल के लिए संभावित आमदनी और खर्च का हिसाब-किताब पेश करती है। इस अवधि के लिए पेश किए गए आंशिक बजट को अंतरिम बजट या लेखानुदान कहते हैं।

4. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित कीजिए।

उ. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) एक प्रबंधकीय अवधारणा है जिसमें कम्पनियां अपने हितधारकों के साथ अंत:क्रिया में सामाजिक-आर्थिक विकास एवं पर्यावरण के मुद्दों के प्रति अपनी नैतिक प्रतिबद्धता का निर्धारण करती है।

- CSR किसी कंपनी का उस समाज के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व है जो समाज द्वारा दिये गए सहयोग और समाज पर होने वाले संभावित दुष्प्रभावों के एवज में निभाया जाता है।
- भारत में कॉरपोरेट सोशल रेस्पोनसिबिलिटी के नियम 1 अप्रैल 2014 को लागू है। इसके अनुसार जिन कंपिनयों की सालाना नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या सालाना कारोबार 1000 करोड़ रुपए की है या सालाना लाभ 5 करोड़ है तो उन कंपनियों को सीएसआर पर तीन साल के औसत लाभ का 2% खर्च करना पड़ता है।

5. औपचारिक प्रत्यायोजन क्या है?

उ. संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक इकाई या उच्चस्थ द्वारा दूसरी इकाई या अधीनस्थों के कर्तव्यों, क्रियात्मक उत्तरदायित्व जब संगठन के लिखित नियमों, उपनियमों, आदेशों या प्रक्रियाओं के अनुसार प्रत्यायोजन किया जाता है, वह औपचारिक प्रत्यायोजन कहलाता है।

- उदाहरण के तौर पर संगठन में एक प्रबंधक द्वारा अधीनस्थ को कार्य की निगरानी की जिम्मेदारी प्रदान करना।

2023

1. Write the name of any two H.Q. of Directorates or Executive Departments of State Government located in Ajmer.

अजमेर में स्थित राज्य सरकार के किन्हीं दो निदेशालयों या कार्यकारी विभागों के मुख्यालय के नाम लिखिए।

उत्तर- अजमेर में राज्य सरकार के प्रमुख कार्यालय निम्न है।

(1) राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर।

(2) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग अजमेर।

2. What do you mean by sub-national government?

उप-राष्ट्रीय सरकार से आप क्या समझते हैं?

उत्तर- उप-राष्ट्रीय सरकार -राष्ट्रीय सरकार के अधीन कार्य करती है, लेकिन एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जैसे राज्य, प्रांत, या नगर निगम के स्तर पर काम करती है।

- भारत में उदाहरण के रूप में राज्य सरकारें, जिला परिषदें, नगर निगम, पंचायतें आदि उप-राष्ट्रीय सरकारों के रूप में कार्य करती हैं। उप-राष्ट्रीय सरकारें भी अपनी सीमा के भीतर निर्णय लेने और कार्य करने में स्वतंत्र होती हैं।

3. What is the main concern of Corporate Governance?

कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुख्य सरोकार क्या है?

उत्तर- कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत किसी कम्पनी को चलाने के तरीके, सिद्धांत, प्रक्रियाएँ तथा निर्देश आदि आते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत कंपनी को ऐसे दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं जिन पर चलकर कंपनी के प्रशासकों, शेयरधारकों, ग्राहकों तथा समाज सभी का भला होता है। यदि गाँधीजी के न्यासिता सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कंपनी का प्रबंधन सभी भागीदारों के हितों का न्यासी होता है।

4. Who is responsible toupload on the web portal of Rajya Sabha/Lok Sabha Secretariat the text version of answers to the questions asked in parliament?

राज्यसभा/लोकसभा सचिवालय के वेब पोर्टल पर संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के अंतिम स्वरूप को अपलोड करने के लिए कौन उत्तरदायी है?

उत्तर- संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के अंतिम स्वरूप को राज्यसभा/लोकसभा सचिवालय के वेब पोर्टल पर अपलोड करने के लिए, संबंधित मंत्रालय/विभाग उत्तरदायी होता है।

5. What is the main function of State Election Commission?

राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है?

उत्तर-

(i) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को अपडेट करना।

(ii) चुनावों के अधीक्षण एवं निरीक्षण के कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने हेतु चुनाव अधिकारियों को नियुक्त करना।

(iii) राज्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव सम्बंधी किसी भी विवाद की जाँच हेतु चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति एवं चुनावों में किसी भी प्रकार त्रुटि पाए जाने पर चुनाव स्थगित कर सकता है। उसके इस अधिकार को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

(iv) यदि जनप्रतिनिधि Act 1951 अथवा अनुच्छेद 102 एवं 192 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया गया है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जाँच के पश्चात् उसे बरी कर सकता है।

2024

1. राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 में पंचायतों में राजस्व से भिन्न मामलों के लिए द्वितीय अपील-अधिकारी किसको अधिसूचित किया गया है?

उत्तर-

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 91166 91119

- राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत पंचायतों में राजस्व से अलग-अलग मामलों के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ, जिला परिषद) को द्वितीय अपील-अधिकारी अधिसूचित किया गया है।

2. ब्लॉक एवं तहसील में विभेद कीजिए।

उत्तर-

आधार	ब्लॉक	तहसील
मुख्य उद्देश्य	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का संचालन	राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों का संचालन
स्वरूप	विकासात्मक इकाई	प्रशासनिक-राजस्व इकाई
मुख्य अधिकारी	खंड विकास अधिकारी (BDO)	तहसीलदार/नायब तहसीलदार
प्रधान कार्य	मनरेगा, पंचायत विकास, ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन	भूमि रिकॉर्ड, नामांतरण, रजिस्ट्री, कर संग्रह, राजस्व प्रशासन

3. सेवा से 'पदच्युत' करने और सेवा से 'बर्खास्त' किये जाने में क्या अन्तर है?

उत्तर-

विशेषता	पदच्युत (Demotion)	बर्खास्त (Dismissal)
सेवा की स्थिति	उच्च पद/स्थिति से हटाया जाता है, सेवा जारी रहती है	पूरी सेवा समाप्त, कर्मचारी अब किसी पद पर नहीं रहता
पुनर्नियुक्ति की संभावना	उसी पद पर कुछ समय बाद या निम्न पद पर	कोई संभावना नहीं
कारण	प्रदर्शन खराब होना, अनुशासनहीनता जैसी मामूली मामले	गंभीर अपराध, भ्रष्टाचार, कानून का उल्लंघन, गंभीर अनुशासनहीनता
प्रभाव	कर्मचारी का उच्च पद खत्म पर सेवा जारी,पदोन्नति में परेशानी	कर्मचारी नौकरी से पूरी तरह बाहर

4. एफ.डब्ल्यू. रिग्स द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लोक प्रशासन की तीन प्रवृत्तियों का उल्लेख करें।

उत्तर-

एफ.डब्ल्यू. रिग्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन में तीन प्रवृत्तियाँ बताईं-

- मानक से अनुभवजन्य अध्ययन की ओर,
- आइडियोग्राफिक से नोमोथेटिक की ओर,
- गैर पारिस्थितिक से पारिस्थितिक दृष्टिकोण की ओर।
- इन बदलावों ने प्रशासनिक अध्ययन को आदर्शात्मक प्रश्नों से हटाकर वास्तविक घटनाओं, सामान्य सिद्धांतों और पर्यावरणीय कारकों पर आधारित व्यवस्थित विश्लेषण की दिशा दी।

5. 'रेस ज्युडिकाटा' से आप क्या समझते हैं?

उत्तर-

- रेस ज्युडिकाटा (Res Judicata) का शाब्दिक अर्थ है 'न्यायनिर्णीत मामला'। यह सिद्धांत न्यायिक प्रक्रिया में अंतिमता और स्थिरता सुनिश्चित करता है।
- एक बार जब किसी विवाद पर न्यायालय अंतिम निर्णय दे देता है, तो वही पक्षकार उसी विषय पर पुन: मुकदमा नहीं कर सकते।

❑❑❑

Part- B
(5 Marks)

मुख्य परीक्षा 2016

1. नव लोक प्रशासन की चार आधारभूत विशेषताओं का निरूपण कीजिए।

उ. नवलोक प्रशासन ने लोक प्रशासन को नई दिशा प्रदान की, इसे ज्ञानोन्मुख बनाया और सामाजिक सरोकारों की ओर प्रशासन का रूख मोड़ा है।

- नव लोक प्रशासन की चार आधारभूत विशेषताएँ-
  1. नीति के स्थान पर प्रबन्ध, निष्पादन, मूल्यांकन और कार्यकुशलता पर ध्यान केन्द्रीत करता है।
  2. सार्वजनिक नौकरशाही का ऐसे अभिकरणों में विघटन जो संविदा के आधार पर कार्य करें।
  3. अर्द्ध बाजारों का प्रयोग और ठेके द्वारा प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन।
  4. लागत व्यय को कम करके लोक प्रशासन को मितव्ययी बनाना।

2. राज्यपाल की स्व-विवेकीय शक्तियाँ समझाइये।

उ. राज्यपाल की स्व-विवेकीय शक्तियाँ निम्नलिखित है-

1. राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना।
2. राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना।
3. संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में कुछ कार्यो को स्वतंत्र रूप से करने का अधिकार राज्यपाल को है।
4. छठी अनुसूची असम के राज्यपाल को दो विवेकाधिकार प्रदान करती है।
5. राज्य के विधानपरिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना।
6. अस्पष्ट बहुमत की स्थिति में किसी एक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आंमत्रित करना।

3. लोक आयुक्त के कोई पाँच कार्य लिखिए।

उ. लोकायुक्त भ्रष्टाचार, पद के दुरूपयोग एवं अकर्मण्यता की जाँच के लिए स्थापित एक उच्च स्तरीय वैधानिक एवं स्वतंत्र संस्थान है।

- लोक आयुक्त के कार्य निम्नलिखित है-
  1. अपने विवेकानुसार क्षेत्र में व्याप्त अन्याय, भ्रष्टाचार व पक्षपात से सम्बन्धित मामले देखना।
  2. किसी भी लोक सेवक, राजनीति पदाधिकारी के खिलाफ शिकायत प्राप्त करना।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 91166 91119

3. शिकायत सही नहीं होने पर शिकायतकर्ता को भी दंडित कर सकता है।
4. लोक सेवकों के कृत्यों के विरुद्ध भी शिकायत मिलने पर जाँच कर सकता है।
5. स्वत: संज्ञान लेकर भी जाँच प्रारंभ कर सकता है।

4. विकास प्रशासन एवं प्रशासनिक विकास के मध्य अन्तर कीजिये।

उ.

विकास प्रशासन	प्रशासनिक विकास
प्रशासन द्वारा किया जाने वाला विकास, सामाजिक आर्थिक उन्नति नियोजित परिवर्तन तथा जनकल्याण के लिए निर्मित नीतियों का क्रियान्वयन करना।	प्रशासनिक क्षमताओं में वृद्धि करना।
यह व्यापक अवधारणा है	यह संकुचित अवधारणा है।
प्रशासन द्वारा विकास	प्रशासन का विकास
यह प्रशासनिक विकास का माध्यम है।	विकास प्रशासन की सफलता का आधार है।
यह लोक कल्याणकारी राज्यों की आवयश्यकता की पूर्ति करता है।	यह विकास प्रशासन की आवश्यकता पूर्ति करता है।

5. "प्रशासन की तृणमूल इकाई पटवारी है"। टिप्पणी कीजिये।

उ. पटवारी द्वारा प्रशासन में महत्त्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, जो निम्न हैं-
1. भू-अभिलेख संधारण -नक्शों, रजिस्टरों, भूमि की प्रकृति, फसल की स्थिति, सिचांई साधन मानचित्र आदि का संधारण करना।
2. भू-राजस्व संग्रहण करना।
3. भूमि सुधार- सरकार द्वारा संचालित भूमि सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
   उदाहरण- चकबन्दी, हदबन्दी।
4. राजस्व अभियानों की क्रियान्विति। उदा.- प्रशासन गाँवों के संग, न्याय आपके द्वार।
5. ग्रामीण विकास- गाँवों में विकास योजनाओं का क्रियान्वयन।
6. आपात सहायता- बाढ़, अकाल, टिड्डी दल आक्रमण फसलों का नुकसान आकलन करना।

- इन सभी महत्त्वपूर्ण कार्यों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण पटवारी प्रशासन की तृणमूल इकाई कहलाता है।

मुख्य परीक्षा 2018

1. न्यायिक नियंत्रण के संदर्भ में प्रतिषेध एवं परमादेश लेख (रिट) के मध्य क्या अन्तर है?

उ.

प्रतिषेध	परमादेश लेख
अर्थ- 'हम आदेश देते है।'	अर्थ- 'रोकना'
इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से बाहर के न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है।	यह एक ऐसा आदेश जो सार्वजनिक इकाईयों अधीनस्थ न्यायालयों, निगमों प्राधिकरणों और सरकारों के विरुद्ध में जारी किया जाता है।
यह न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है व प्राधिकरणों के विरुद्ध नहीं।	निम्नलिखित परमादेश के क्षेत्र में नहीं आते- निजी कम्पनी, व्यक्ति, गैर संवैधानिक विभाग राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।

2. प्रशासन की नव-शास्त्रीय विचारधारा की मुख्य मान्यताओं का विवेचन कीजिये।

उ. प्रशासन की नव-शास्त्रीय विचारधारा की मुख्य मान्यताएँ –
- संगठन के स्पष्ट और सर्वविदित सिद्धान्त होते हैं। इनके आधार पर संगठन की रूपरेखा निर्धारित की जा सकती है जिसके आधार पर संगठन के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते है।
- कर्मचारियों की नियुक्ति करने से पहले यह आवश्यक है कि योजना बना ली जाये।
- संगठन की रूपरेखा एवं ढाँचे का निर्माण अधिक महत्त्वपूर्ण है संगठन का स्वरूप निर्धारित होने पर कर्मचारी आसानी से मिल जाते है।
- संगठन में व्यक्ति को मशीन के पुर्जे के रूप में स्वीकार किया गया है।
- इसका सम्बन्ध औपचारिक संगठनिक संरचना के साथ ही प्रशासन के संगठन एवं नियमों से है।

3. लोक प्रशासन के सामाजिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं?

उ. लोक प्रशासन के सामाजिक उत्तरदायित्व समाज कल्याण के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करती है तथा इन नीतियों को लागू करने के लिए सामाजिक कानूनों को पारित करती है और इनके लिए वित्तीय सहायता आवंटन और प्रावधानों को मंजुर करती है।
- साथ ही साथ मंत्रालयों तथा विभाग के रूप में संगठनात्मक तथा प्रशासनिक संबंधों को प्रदान करता है। इसके साथ विभिन्न समाज कल्याण कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी की जाती है।
- सरकार द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व विभिन्न माध्यमों से निष्पादित किया जाता है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास से सम्बन्धित योजना बनाकर लागू करना।

4. प्रबंध के दर्शन का वर्णन कीजिए।

उ. प्रबंध के दर्शन से तात्पर्य है कर्मचारियों को उत्पादन के उच्चतम स्तर पर कार्यस्थल पर कार्य करने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ, प्रबंधन को इस अंत को प्राप्त करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश समर्थन और सुधार प्रदान करना है।
- यह प्रबंधन प्रक्रिया कैसे होती है। इसकी बारीकियां संस्कृति, शिक्षा स्तर और अनुभव के दायरे जैसे कारकों से प्रभावित होकर एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया से भिन्न होती है, जो प्रबंधक कार्य में लाता है। अपने सबसे अच्छा तरीके से प्रबंधन के दर्शन को लागू करने के लिए उपयोग किया जाता है।

5. राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से कौन से पदों एवं व्यक्तियों को छूट दी गई है?

उ. राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में निम्न पदों एवं व्यक्तियों को छूट दी गई है –
- मुख्यमंत्री,
- आरपीएससी अध्यक्ष एवं सदस्य,
- भारत कोई भी न्यायालय अधिकारी या कर्मचारी
- महालेखाकार राजस्थान,

- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश या न्यायिक सेवा के सदस्य जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 236(b) में परिभाषित किया है।
- राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी
- मुख्य चुनाव आयुक्त, क्षेत्रीय आयुक्त, प्रमुख निर्वाचन अधिकारी
- राजस्थान सेवानिवृत लोक सेवक आदि।

मुख्य परीक्षा 2021

1. प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए।

उ. प्रशासन द्वारा की जाने वाली गलतियों तथा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायपालिका द्वारा न्यायिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। न्यायपालिका को न्यायिक नियंत्रण की शक्ति संविधान तथा व्यवस्थापिका के कानूनों द्वारा प्राप्त होती है।

- **प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न रूप –**
  1. अनुच्छेद -300 के अनुसार सरकार के विरुद्ध अभियोग प्रस्तुत करना।
  2. सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग प्रस्तुत करना
  3. प्रशासनिक कार्यों व निर्णयों का न्यायिक पुनरावलोकन
  4. न्यायालय द्वारा प्रशासकीय निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनना
  5. संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत विभिन्न रिट जारी करना
     - (क) बंदी प्रत्यक्षीकरण
     - (ख) परमादेश
     - (ग) प्रतिषेध
     - (घ) उत्प्रेषण
     - (च) अधिकार पृच्छा।

2. परम्परागत एवं विकास प्रशासन के मध्य प्रमुख अंतर की परिगणना कीजिए।

उ.

विकास प्रशासन	परम्परागत प्रशासन
यह परिवर्तन निर्देशित है।	यह यथास्थितिवादी है।
यह गतिशील व लचीला है।	यह पदसोपान क्रम वाला व कठोर है।
यह लक्ष्य प्राप्ति की प्रभाविता पर जोर देता है।	यह मितव्ययता पर जोर देता है।
इसके उद्देश्य जटिल और अनेक है।	इसके उद्देश्य सरल है।
यह बर्हिमुखी है।	यह अन्तर्मुखी है।
इसके कामों का विस्तार क्षेत्र व्यापक है।	इसके कामों का विस्तार क्षेत्र सीमित है।

3. सचिवालय एवं निदेशालय में भेद कीजिए।

उ. सचिवालय एवं निदेशालय में अन्तर –

सचिवालय	निदेशालय
शीर्ष प्रशासनिक संस्था।	अधीनस्थ प्रशासनिक संस्था।
नीतियों का निर्माण करना।	नीतियों का क्रियान्वयन करना।
मुख्य अधिकारी सचिव होता है।	मुख्य अधिकारी निर्देशक होता है।
स्टाफ एजेंसी की तरह कार्य।	लाइन एजेंसी की तरह कार्य।
यह सामान्य सेवाएं उपलब्ध करवाता है।	विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध करवाना।
मंत्री से प्रत्यक्ष संबंध।	मंत्री से प्रत्यक्ष संबंध नहीं।
सामान्यज्ञ अधिकारियों का प्रभाव ज्यादा।	विशेषज्ञ अधिकारियों का प्रभाव ज्यादा।

4. उच्च लोक सेवाओं में पार्श्विक प्रवेश (लेटरल एण्ट्री) के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

उ. उच्च लोक सेवाओं में पार्श्विक प्रवेश (लेटरल एण्ट्री) के प्रभाव का विश्लेषण

- वर्तमान में शासन व्यवस्था में बदलाव हो रहा है जिससे प्रशासन में उच्च स्तर पर सामान्यज्ञों की जगह विशेषज्ञों की आवश्यकता बढ़ रही है। उदा. ई.गवर्नेंस का बढ़ता क्षेत्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1500 आईएएस अधिकारियों की कमी है जो लेटरल एण्ट्री से पूरा किया जा सकता है। लेटरल एण्ट्री गैर लाभकारी क्षेत्र के हितधारकों की शासन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। लेटरल एण्ट्री से सरकारी कार्य संस्कृति परितर्वन में मदद मिलेगी।
- लेटरल एण्ट्री से सरकारी क्षेत्र में निजी क्षेत्रों का अनुभव, विशेषज्ञता एवं प्रभावशीलता के कारण प्रदर्शन व कार्य निर्वहन में बेहतरी संभव है। इस प्रकार वर्तमान शासन व्यवस्था अधिक सहभागी एवं बहुआयामी हो सकती है।

5. राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए।

उ. राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार –

- लोकायुक्त राज्य के अधिकारियों, कर्मचारियों, मंत्रियों के विरुद्ध जनता की शिकायतों की जांच करेगा, सुनवाई करेगा।

➢ **लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार -**

- लोकायुक्त द्वारा निम्न के विरुद्ध शिकायतों की जाँच की जा सकती है-
- राज्य के मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
- राजस्थान सरकार के सचिव, विभागाध्यक्ष, लोकसेवक।
- पंचायत समितियों के प्रधान व उप-प्रधान।
- जिला परिषदों व पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष।
- नगर निगमों के महापौर व उप-महापौर।
- स्थानीय प्राधिकरणों, नगर परिषदों, नगरपालिकाओं व नगर विकास न्यासों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष।
- राजकीय कंपनियों व निगमों के अध्यक्ष व अधिकारी एवं कर्मचारी।

➢ **निम्न के विरुद्ध लोकायुक्त जाँच नहीं कर सकता -**

- राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री
- महालेखाकार
- RPSC के अध्यक्ष व सदस्य
- किसी भी न्यायालय के अधिकारी व कर्मचारी

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 91166 91119

- मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त, प्रादेशिक आयुक्त एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी व कर्मचारी
- राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारी
- सेवानिवृत्त लोक सेवक
- सरपंच, पंच व विधायक
- 5 वर्ष से अधिक पुरानी शिकायतें।

2023

1. Discuss the salient features of Change Management.
परिवर्तन प्रबंधन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए।

उत्तर- परिवर्तन प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

1. **योजना और रणनीति:** परिवर्तन को सुचारू रूप से लागू करने के लिए स्पष्ट योजना और रणनीति तैयार करना आवश्यक है।
2. **संचार:** सभी कर्मचारियों और हितधारकों से सही समय पर संवाद करना ताकि वे बदलाव को समझें और स्वीकार करें।
3. **लचीलापन:** परिवर्तन प्रक्रिया में लचीलापन रखना, ताकि किसी भी अनपेक्षित स्थिति से निपटा जा सकें।
4. **प्रतिरोध का प्रबंधन:** कर्मचारियों या समूहों से होने वाले प्रतिरोध को समझना और उसे प्रभावी रूप से प्रबंधित करना।
5. **सतत सुधार:** परिवर्तन के बाद सुधारात्मक कदम उठाकर प्रक्रिया को निरंतर बेहतर बनाना।

- उच्चाधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य स्पष्ट संचार की व्यवस्था होनी चाहिए।
- संसाधनों की पर्याप्तता।
- प्रबंधन एवं कर्मचारियों के मध्य समन्वय।
- परिवर्तन के साथ पुरस्कार को जोड़ना।
- परिवर्तन के प्रबंध हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था।
- कर्मचारियों के सुझावों को प्रोत्साहन।

2. Analyse the concept of Legitimacy.
वैधता की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर- वैधता की अवधारणा-

(1) वैधता और वैध प्राधिकार किसी भी तरीके के राजनीतिक शासन को निर्दिष्ट करती है, जिसमें शासक सफलतापूर्वक यह दाव करता है कि वे कानून के अनुसार मिलने वाले अधिकार, परंपराएँ या समान पक्ष के आधार पर शासन करते हैं। वेबर तीन शुद्ध प्रकार की वैध प्रभुता की पहचान करते हैं।

(2) वैध बौद्धिक प्राधिकार किसी भी तरीके के पालन हो रहे नियमों व उनके अंतर्गत उपलब्ध प्रभुता की वैधता की मान्यता पर निर्भर करता है, जैसे निर्वाचित प्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी।

(3) परंपरागत प्राधिकार परंपरा की शुद्धता की स्थापित मान्यता पर निर्भर करती है और मान्यताओं व रिवाजों के अनुसार इस परंपरा के अंतर्गत चुने गए शासन करने वालों, जैसे-राजाओं, रानियों और धार्मिक आचार्यों की स्वीकृति पर निर्भर करती है।

(4) चमत्कारी प्राधिकार किसी अपवादस्वरूप व्यक्ति या नेता के प्रति श्रद्धा पर निर्भर करती है और इस व्यक्ति द्वारा नियुक्त प्रतिमान नियमों पर निर्भर करता है, उदाहरणार्थ, युद्ध का देवता और मसीहा, महात्मा गांधी, दलाई लामा आदि।

3. What are Seven Deadly Sins propounded by Mahatma Gandhi and why they are important?
महात्मा गाँधी द्वारा प्रतिपादित सात प्रमुख बुराइयाँ क्या हैं तथा वे क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?

उत्तर- गाँधीजी ने सात सामाजिक बुराइयों का पुरजोर विरोध किया है, ये निम्नलिखित हैं :-

पापों के प्रकार	वर्तमान-उदाहरण
सिद्धांतों के बिना राजनीति	• कर्नाटक में दलबदल के हालिया मामले। • लोकसभा के 539 सांसदों में से 233 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं.
काम के बिना धन	• क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती कीमतों ने कई भाग्य बदल दिए हैं। • बैंकों में मौजूदा 11 लाख करोड़ रुपये का एनपीए भी लोगों की भ्रष्ट और जोड़-तोड़ की मानसिकता को दर्शाता है।
विवेक के बिना आनंद	• किशोरों पर वैवाहिक बलात्कार का ज्वलंत मुद्दा। • विकास के दायरे में पर्यावरणीय लूट
चरित्र के बिना ज्ञान	• राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे को बाधित करने के लिए साइबरस्पेस का उपयोग जैसा कि 2021 के मुंबई ब्लैकआउट में देखा गया था। • अल्ट्रासाउंड परीक्षणों का उपयोग करके कन्या भ्रूण हत्या के कारण **"लापता महिलाओं"** के हाल के मामले।
मानवता के बिना विज्ञान	• इजरायल और गाजा पट्टी के बीच मिसाइलों की हालिया बमबारी। • सरकारें कैंसर के सबूत के बावजूद विषाक्त पेय और सिगार पर प्रतिबंध नहीं लगा रही हैं। • 1945 में जापान पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल मानवता पर विज्ञान का हमला है।
नैतिकता के बिना वाणिज्य	• गूगल और फेसबुक ने हाल ही में गोपनीयता के मुद्दों पर अमेरिकी सीनेट के साथ संघर्ष किया। • बॉलीवुड गीतों और फिल्मों में लिंगवाद सिर्फ अपनी सामग्री का विपणन करने के लिए महिला शरीर पर।
त्याग के बिना धर्म (मानवसेवा = माधव सेवा)	• सभी धर्मों में धार्मिक कट्टरवाद सांप्रदायिक तनाव का कारण बनता है जैसा कि हाल ही में फ्रांस में देखा गया है। • भक्ति पर कर्मकांड का विकास।

- इन सात बुराईयों को दूर करने से लोकसेवा एवं सुशासन में नैतिकता लायी जा सकती है। उसी तरह लोक कल्याण के लिए चरित्र और नैतिकता भी महत्त्वपूर्ण है, तथा मानवता एवं त्याग की आवश्यकता भी लोक सेवकों में आवश्यक होती है, तभी जाकर सुशासन स्थापित हो पाता है।

4. Describe the duties of Chief Minister as mentioned in the Constitution of India & also underline the most important duty which makes him headof the Government.

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 91166 91119

भारत के संविधान में वर्णित मुख्यमंत्री के कर्त्तव्यों का वर्णन कीजिए तथा उस प्रमुख कर्त्तव्य को रेखांकित कीजिए जो उसे शासन का मुखिया बनाता है।

उत्तर- संविधान के अनुसार राज्य में मुख्यमंत्री के कर्त्तव्य-संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्त्तव्य होगा कि वह-

(1) राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद् के सभी विनिश्चय और विधान विषयक प्रस्थापनाएँ राज्यपाल को संसूचित करें।

(2) राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे, वह दे, और

(3) किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है, किन्तु मंत्रिपरिषद् ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें।

- इस प्रकार मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद् के बीच की कड़ी होता है। राज्य का समस्त शासन राज्यपाल के नाम पर चलता है, किन्तु वास्तव में राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का 'वास्तविक प्रधान' है। इसलिए मुख्यमंत्री राज्य का 'वास्तविक मुखिया' होता है।

5. Evaluate the provisions made in Article-315 of Constitution of India for State Public Service Commission.

भारत के संविधान के अनुच्छेद-315 में राज्य लोक सेवा आयोग के सम्बन्ध में वर्णित प्रावधानों का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर- संविधान के अनुच्छेद-315 के अनुसार-

(1) इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संघ के लिए एक संघ लोक सेवा अयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।

(2) दो या अधिक राज्यों के समूह के लिए एक ही लोक सेवा अयोग होगा (जिसे इस अध्याय में **"संयुक्त आयोग"** कहा गया है।)

(3) पूर्वोक्त प्रकार की किसी विधि में ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंधों हो सकेंगे जो उस विधि के प्रयोजनों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या वांछनीय हों।

(4) यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा अयोग से ऐसा करने का अनुरोध करता है तो वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से उस राज्य की सभी या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सहमत हो सकेगा।

(5) इस संविधान में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे ऐसे आयोग के प्रति निर्देश हैं जो प्रश्नगत किसी विशिष्ट विषय के सम्बन्ध में यथास्थिति, संघ की या राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

मुख्य परीक्षा 2024

1. शासन व्यवस्था के लिए नव लोक प्रबन्धन दृष्टिकोण में अंतर्निहित विरोधाभासों की चर्चा कीजिए।

उत्तर-

– नव लोक प्रबन्धन (New Public Management – NPM) दृष्टिकोण शासन व्यवस्था में दक्षता, प्रतिस्पर्धा और निजी क्षेत्र की तकनीकों को अपनाने पर बल देता है। किंतु इसमें कई अंतर्निहित विरोधाभास हैं।

– **लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व बनाम बाज़ार दक्षता:** नागरिकों की जवाबदेही और समानता पर जोर देने वाली शासन व्यवस्था, बाज़ार आधारित दक्षता से टकराती है।

– **सार्वजनिक हित बनाम निजी लाभ:** निजी क्षेत्र की पद्धतियाँ अपनाने से लाभ-प्रेरणा बढ़ती है, जबकि शासन का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण है।

– **लघु अवधि परिणाम बनाम दीर्घकालिक सामाजिक न्याय:** त्वरित प्रदर्शन पर बल देने से दीर्घकालिक सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा होती है।

– **निष्कर्षत:** NPM शासन को आधुनिक बनाता है, परंतु लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय के साथ विरोधाभास उत्पन्न करता है।

2. कार्यपालिका पर नियंत्रण की प्रक्रिया में महालेखाकार (A.G.) कार्यालय की भूमिका की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-

– महालेखाकार (Accountant General – A.G.) कार्यालय कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण का प्रमुख साधन है। यह कार्यालय सरकारी आय-व्यय, लेखा और लेखा परीक्षा की स्वतंत्र जाँच करता है।

– **लेखा परीक्षा:** मंत्रालयों, समितियों और पंचायतों के प्रतिनिधियों की जाँच कर अनियमितताओं को उजागर करता है।

– **जवाबदेही:** कार्यपालिका द्वारा सार्वजनिक धन के उपयोग को विधायिका और जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है।

– **रिपोर्टिंग:** महालेखाकार की रिपोर्टें भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के माध्यम से विधानमंडल को प्रस्तुत होती हैं।

– **नियंत्रण का प्रभाव:** इससे कार्यपालिका की वित्तीय सेवाएँ, अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

– इस प्रकार A.G. कार्यालय कार्यपालिका पर संवैधानिक वित्तीय नियंत्रण का महत्वपूर्ण अंग है।

3. लोक प्रशासन में उत्तर-आधुनिकतावाद से आप क्या समझते हैं?

उत्तर-

– लोक प्रशासन में उत्तर-आधुनिकतावाद प्रशासनिक अध्ययन को कठोर, सार्वभौमिक और आदर्शात्मक दृष्टिकोण से हटाकर बहुलता, संदर्भ और नागरिक सहभागिता पर केंद्रित करता है।

– यह मानता है कि प्रशासन केवल तकनीकी दक्षता नहीं, बल्कि सामाजिक राजनीतिक, सांस्कृतिक और भाषाई कारकों से प्रभावित होता है।

उत्तर-आधुनिकतावाद प्रशासन की मुख्य विशेषताएँ

1. **बहुलवाद और विविधता:** समाज में अलग-अलग संस्कृति, अनुभव और मान्यताएँ हैं। नीतियाँ स्थानीय और संदर्भ-विशेष के अनुसार बनें।
2. **संदर्भ-निर्भर और अनुकूलनीय नीतियाँ:** सार्वभौमिक तरीकों के बजाय नीतियाँ बदलती परिस्थितियों और अनुभव के आधार पर विकसित हों।
3. **संवाद और नागरिक सहभागिता:** नागरिक सिर्फ सेवा प्राप्तकर्ता नहीं, नीति निर्माता में भागीदार हों।हाशिए के समुदायों की आवाज़ को शामिल किया जाए।

4. **भाषा, विचार-विमर्श और सामाजिक यथार्थ की समझ**: प्रशासन सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक विमर्श का हिस्सा है। निष्पक्षता, न्याय और अनुभवों की वैधता पर केंद्रित होती हैं।
5. **निरंतर सीखना और लचीलापन**: प्रशासन स्थिर मॉडल न होकर विकासशील और संवेदनशील होना चाहिए।प्रक्रियाओं और परिणामों की समीक्षा लगातार होती रहे।
6. **नैतिकता और मूल्य आधारित दृष्टिकोण**: प्रशासन कभी पूरी तरह तटस्थ नहीं हो सकता। न्याय, समानता और सामाजिक विविधता को मान्यता देना जरूरी।

4. प्रत्यायोजन एवं विकेन्द्रीकरण के बीच अन्तर की व्याख्या कीजिये।

उत्तर-

विशेषता	प्रत्यायोजन (Delegation)	विकेंद्रीकरण (Decentralization)
अर्थ	एक उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ को कुछ निश्चित अधिकार देना	निर्णय लेने की शक्ति को संगठन के विभिन्न स्तरों पर वितरित करना
स्तर	एक उच्च अधिकारी से अधीनस्थ तक	कई स्तरों पर (उच्च से निम्न तक)
स्वरूप	अस्थायी, व्यक्तिगत	स्थायी, संगठनात्मक
उत्तरदायित्व	अंतिम उत्तरदायित्व उच्च अधिकारी का होता है	प्रत्येक स्तर अपने निर्णयों के लिए उत्तरदायी होता है
क्षेत्र	सीमित कार्यों या एक विशिष्ट क्षेत्र तक	पूरे संगठन में व्यापक
उदाहरण	एक प्रबंधक द्वारा एक सहायक को कार्य सौंपना	किसी विभाग को स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति देना

5. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति, त्यागपत्र और पदच्युति से सम्बन्धित क्या प्रावधान हैं?

उत्तर-

– राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21(1) के तहत हुआ।

आयोग के सदस्य की नियुक्ति-

1. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति: आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल के हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
2. सिफारिश समिति: राज्यपाल नियुक्ति करने से पहले एक विशेष समिति की सिफारिशें प्राप्त करते हैं। इस समिति में शामिल सदस्य हैं: मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता
3. विशेष शर्त: हाई कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश या किसी के जिला न्यायाधीश को नियुक्त करने से पहले राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है।
4. नियुक्ति की वैधता: समिति के किसी सदस्य के पद की रिक्ति होने पर भी, अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति वैध रहती है।

त्यागपत्र-

– राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2002 की धारा 10: अध्यक्ष या सदस्य, राज्यपाल को संबोधित अपने हाथ से लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और उनका इस्तीफा उस दिन से प्रभावी होगा जिस दिन राज्यपाल उसे स्वीकार करेंगे।

– **पदच्युति:** इन्हे केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध किया हो कि वे दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाए जाने चाहिए।

– राष्ट्रपति निम्न आधार पर तुरंत हटा सकते हैं; दिवालिया घोषित हो, अक्षम, मानसिक रूप से अस्थिर हैं, लाभ के पद, नैतिक दुर्बलता वाले अपराध में दोषी पाए जाते हैं।

❑❑❑

Part- C (10 Marks)

मुख्य परीक्षा 2016

1. जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

उ. जिला प्रशासन में कलेक्टर की भूमिका आलोचनात्मक परीक्षण जिला कलेक्टर की जिलें में विभिन्न भूमिका है-

1. प्रशासनिक अधिकारों के रूप में- जिले में जनगणना करवाना, चुनाव करवाना तथा जिला जनसम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा नागरिक सुरक्षा से जुड़े मामले देखता है।
2. राजस्व प्रशासन (जिला कलेक्टर के रूप में) जिला कलेक्टर का प्रथम कार्य है- भूराजस्व एकत्रित करना।
3. जिला विकास अधिकारी के रूप में- जिला कलेक्टर, जिला आयोजना समिति के माध्यम से योजना बनाता है, जिला योजना क्रियान्वयन जिले में चल रही परियोजनाओं पर निगरानी रखता है तथा इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार व संभागीय आयुक्त को देता है।
4. जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिले में कानून व शांति व्यवस्था बनाएं रखता है तथा शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका पर CRPC की धारा-144 लगाता है।
5. आपादा निवारक अधिकारी के रूप में-मानव जनित आपदा व प्राकृतिक आपदा में प्रशासक का कार्य देखता है। राहत कैम्प आयोजित करवाता है। जिला प्रशासन राज्य की केन्द्रीय प्रशासनिक इकाई है ऐसे में जिले में जिला अधिकारी कछुए की भाँति होता है जिस पर हाथी का बोझ लगा होता है जिला प्रशासन में सत्ता के केन्द्रीकरण के कारण शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि सम्पूर्ण सत्ता भ्रष्टाचार को जन्म देती है।

● इन भूमिकाओं के निर्वहन में जिला कलेक्टर के समक्ष निम्न चुनौतियाँ विद्यमान है-
  - ➢ कार्यकाल की अनिश्चितता।
  - ➢ राजनीतिक हस्तक्षेप की अधिकता।
  - ➢ प्रोटोकॉल संबंधी कार्य की अधिकता होना।
  - ➢ न्यायिक कार्यों की पृथकता जिससे बेहतर पुलिस नियंत्रण नही होना
  - ➢ कार्यभार अत्यधिक होना।
  - ➢ हर नए कानून के साथ जिला कलेक्टर की भूमिका में वृद्धि हो जाती है।
  - ➢ 21वीं सदी की नई चुनौतियाँ यथा – साइबर अपराध, पर्यावरण समस्या इत्यादि ने भी जिला कलक्टर के लिए नवीन चुनौतियों को उत्पन्न किया हैं।

2. राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका का उल्लेख कीजिये।

उ. राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका- मुख्य सचिव राज्य लोक सेवा का मुखिया होता है। राज्य में प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोच्च तथा

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 91166 91119

सबसे महत्त्वपूर्ण पद है वह राज्य में नीति निर्माण नियंत्रण तथा प्रशासनिक नेतृत्व में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिनमें से कुछ निम्नलिखित है-

- **मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में -** मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन के मुद्दों पर मुख्य सचिव से परामर्श करता है। राज्य के मंत्रियों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों की प्रशासनिक अड़चनों की जानकारी मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को देता है। वह सचिवों व मुख्यमंत्री के मध्य कड़ी का कार्य भी करता है।
- **मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में -** मुख्य सचिव मंत्रिमंडलीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है तथा कैबिनेट की बैठकों में भाग लेता है। कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखता है एवं बैठक में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करता है।
- **लोक सेवा के प्रमुख के रूप में -** मुख्य सचिव राज्य के कार्मिक प्रशासन के प्रमुख के रूप में लोकसेवकों की नियुक्ति, स्थानान्तरण तथा पदोन्नति से जुड़े मामले देखता है। वह लोकसेवकों का मनोबल बनाए रखता है।
- **मुख्य समन्वयक के रूप में -** राज्य प्रशासन के अन्तर्गत कार्यरत विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना मुख्य सचिव का प्रमुख दायित्व है। वह सचिवों की बैठकों में अध्यक्षता करता है। वह अंतर्विभागीय विवादों के समाधान हेतु गठित समिति का भी अध्यक्ष होता है।
- **कुछ विभागों के प्रमुख के रूप में -** अधिकांश विभाग यथा- सामान्य प्रशासन विभाग, कार्मिक विभाग, योजना एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सीधे मुख्य सचिव के प्रभार में होते है। सामान्य प्रशासन विभाग का राजनीतिक प्रमुख स्वयं मुख्यमंत्री होता है।
- **संकटकालीन प्रशासक के रूप में -** बाढ़, सूखा, सांप्रदायिक दंगों, अन्य आपदाओं के दौरान राहत कार्य में लगे अधिकारियों एंव एजेंसियों को मार्गदर्शन व नेतृत्व प्रदान करता है। संकटकालीन समितियों के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में मुख्य सचिव कार्य करता है।
- **केन्द्र व अन्य राज्यों के मध्य समन्वय -** मुख्य सचिवों के सम्मेलनों में राज्य के प्रतिनिधि के रूप में, अन्तर्राज्यीय विवादों में तथा राष्ट्रीय विकास परिषदों की बैठकों में भाग लेता है। मुख्य सचिव राज्य एवं केन्द्र सरकार तथा उनके विभिन्न मंत्रालयों के मध्य संवाद व समन्वय का कार्य करता है।
- **आपातकालीनस्थिति (अनुच्छेद-352, 356, 360) में मुख्य भूमिका -** राष्ट्रीय आपात (अनुच्छेद-352), राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता (अनुच्छेद-356) तथा वित्तीय संकट (अनुच्छेद-360) पर राष्ट्रपति घोषणा के समय राज्य सरकार निष्क्रिय हो जाती है। तब राज्यपाल वास्तविक शासक बन जाता है। उस स्थिति में मुख्य सचिव राज्यपाल हेतु परामर्शदाता एवं निष्पादन अधिकारी की भूमिका निभाता है।
- **अन्य कार्य -**
  - ➢ मुख्य सचिव वे कार्य भी देखता है जो किसी सचिव के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते।
  - ➢ राज्य सरकार के प्रवक्ता के तौर पर कार्य करता है।
  - ➢ क्षेत्रीय परिषद् में अपनी बारी आने पर सचिव के रूप में कार्य करता है।
  - ➢ विभिन्न संगठनों, मंडलों, दबाव समूहों से वार्तालाप करना तथा सरकार का पक्ष स्पष्ट करना।
  - ➢ राज्य प्रशासनिक तंत्र में आवश्यक परिवर्तन, नवाचार हेतु मंत्रिपरिषद् को परामर्श देना तथा सहायता करना।

3. एक स्वतंत्र शैक्षणिक विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास को अनुरेखित कीजिए।

उ. लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र शैक्षणिक विषय के रूप में विकास- 1887 से पूर्व विभिन्न प्राचीन राजनीतिक चिन्तकों द्वारा प्रशासन का अध्ययन किया। जैसे -कौटिल्य-अर्थशास्त्र, प्लेहो-टिपस्लिक, लोक प्रशासन का सर्वप्रथम अध्ययन, 'प्रशा' में प्रारंभ हुआ। 18वीं शताब्दी में अमेरिका के वित्त मंत्री हेमिल्टन द्वारा '5 फेडरलिस्ट' नामक लेख में लोक प्रशासन शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या की। 1887 के पश्चात् लोक प्रशासन के विकास में विभिन्न चरण-

1. राजनीति प्रशासन विभाजन (1887-1926) 1887 में **"द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन"** नामक लेख में वुडरों विल्सन द्वारा राजनीति प्रशासन विभाजन की विचारधारा प्रतिपादित की।
2. सिद्धांतों का स्वर्णकाल (1927-37)- विभिन्न सिद्धांतों का विकास हुआ उदाहरण विलोबी की पुस्तक **-** प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (1927)।
3. चुनौतियों का काल (1938-47)- इस चरण में प्रशासन के सिद्धांतों की अत्यधिक आलोचना हुई। इस चरण का मुख्य विषय लोक प्रशासन के अध्ययन में मानवीय संबंधों पर जोर देना था। लोक प्रशासन के सिद्धांतों को चुनौती दी गई और इस संबंध में हॉथोर्न का प्रयोग महत्त्वपूर्ण था। उदा. साइमन ने अपनी पुस्तक में प्रशासनिक सिद्धांतों को लोकोक्ति व मुहावरे कहा।
4. पहचान का संकट (1948-70) **-** लोक प्रशासन के विद्वान राजनीति विज्ञान की तरफ चले गये, जिसके पहचान की संकट आ गया।
5. अन्त अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल (1971-90)-विभिन्न सिद्धांतों को खारिज किया।
6. LPG व लोक प्रशासन**-** राज्य के पश्य बेलन का सिद्धांत।

मुख्य परीक्षा 2018

1. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम, 2011 की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए।

उ. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 की प्रमुख विशेषताएँ –

- लोक सेवा कानूनों के अंतर्गत वे वैधानिक कानून शामिल है जो सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के समायबद्ध वितरण की गारंटी प्रदान करते है। इसके साथ समयबद्ध तरीके से सेवाओं का वितरण नहीं होने पर सरकारी अधिकारियों को दण्डित करने के लिए तंत्र भी प्रदान करते है।
- राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने अधिनियम के उल्लंघन पर दंड सम्बन्धी प्रावधान रखे है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अनुसूचित विभाग एक कार्मिक की नियुक्ति करेगा जो अधिनियम के अन्तर्गत शिकायतों को लेने के लिए उत्तरदायी होगी।

- इस अधिनियम के अंतर्गत 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया है जिसमें बिजली, जलदाय, स्वास्थ्य, नगर निगम, पंचायती राज जैसी सेवाएं शामिल है।
- अधिकृत कर्मचारी आवेदक को लिखित में अभिस्वीकृति देगा तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं है तो इसका उल्लेख अभिस्वीकृत में किया जाएगा तथा नियत समय सीमा नहीं दी जाएगी।
- सेवा नियत समय सीमा में उपलब्ध कराई जाएगी तथा सेवा में विलम्ब या नहीं मिलने की दशा में पदाभिहित अधिकारी कारणों का स्थान उल्लेख करेगा। अपील के लिए समयावधि तथा अपील अधिकारी की भी जानकारी देगा।

2. अध्यादेश प्रख्यापित करने के सम्बन्ध में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन कीजिये।

उ. अध्यादेश प्रख्यापित करने के सम्बन्ध में राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद - 213 में किया गया है। उस स्थिति को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमण्डल के दोनों सदन सत्र में है।

1. यदि किसी समय राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है, कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जिनके कारण तुरन्त कार्यवाही करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो।
   परन्तु राज्यपाल, राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना कोई ऐसा अध्यादेश प्रस्थापित नहीं करेगा यदि –
   (क) वैसे ही उपबन्ध अन्तर्विष्ट करने वाले विधेयक को विधानमण्डल में पुन: स्थापित किए जाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की अपेक्षा संविधान के लिए अधीन होती है।
   (ख) वैसे ही उपबंध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित रखना आवश्यक समझता है।
2. राज्यपाल द्वारा प्रस्थापित अध्यादेश का वही प्रभाव होगा जो विधानमण्डल के अधिनियम का होता है।
3. इस अनुच्छेद के अधीन अध्यायदेश का कोई ऐसा उपबंध करता है, जो राज्य के विधानमण्डल के ऐसे अधिनियम में जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी है, अधिनियमित किए जाने पर विधिमान्य नहीं होता है और वहाँ तक अध्यायदेश शून्य होगा।

3. भारत में प्रशासन में सच्चरित्रता बढ़ाने के लिये अपनाये गये उपायों को समझाइये।

उ. भारत के प्रशासन में सच्चरित्रता बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाये गए है कागजी कार्यवाही को आसान बनाने के साथ-साथ पारदर्शिता व जवाबदेहिता को बढ़ाने के लिए ई-गवर्नेंस व डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रशासन में ईमानदारी का बढ़ावा देता है।

- भारत सरकार ने प्रशासन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सिविल सेवा कोड तथा विभिन्न सेवा नियम बनाए गए है फिडबैक व शिकायतों के बेहतर ढंग से निपटान के लिए सरकार ने सिटीजन चार्टर (नागरिक घोषणा-पत्र) बनाया गया है 2006 में नागरिक उन्मुख शासन स्थापित करने के लिए कार्मिक विभाग ने एक लोक सेवा का मसौदा तैयार किया जिसमें सार्वजनिक सेवाओं के विकास उद्देश्य से लोक सेवाओं के मौलिक मूल्यों एवं आचार संहिता आदि की बात की गई है।

मुख्य परीक्षा 2021

1. राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम-2012 की प्रमुख विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए।

उ. राजस्थान सरकार द्वारा इस अधिनियम को अगस्त, 2012 से लागू किया गया।

- इस अधिनियम के माध्यम से राज्य की आम जनता को निवास स्थल के नजदीक सुनवाई का अवसर प्राप्त हुआ है।
- इस अधिनियम में उन्हीं सेवाओं को शामिल किया गया है, जो राजस्थान लोक सेवा गांरटी अधिनियम में शामिल नहीं की गई हैं।
- इस अधिनियम के द्वारा लोक शिकायतों और समस्याओं को संवेदनशीलता से सुना जाएगा और उनका त्वरित निराकरण किया जाएगा।
- आम आदमी की समस्याओं तथा अभाव अभियोगों पर उनके अपने क्षेत्र में ही एक निश्चित समय सीमा में सुनवाई का अधिकार प्रदान करता है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय में 'लोक सुनवाई अधिकारी' नियुक्त किया गया है।
- राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारण्टी अधिनियम-2011 के अंतर्गत आने वाली सेवा प्रदान में कठिनाइयों का निराकरण करता है।
- जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों का निस्तारण व समय लगने वाली प्रक्रियाओं को और सुगम बनाना।
- इस अधिनियम के तहत् जन शिकायत या परिवाद पर 15 दिवस में सुनवाई की अनिवार्यता है। साथ ही शिकायत/परिवाद पर लिए गए निर्णय की संसूचना 7 दिवस में देने की अनिवार्यता भी सुनिश्चित की गई है।
- आवेदन पत्र एवं अपीलीय ज्ञापनों पर कोई शुल्क नहीं है।
- जन सामान्य की सहायता एवं मार्गदर्शन के लिए सूचना और सुगम केंद्रों की स्थापना का प्रावधान।
- दर्ज शिकायत को यूनिक नंबर दिए जाने तथा रसीद प्राप्त करने की प्रणाली लागू।

➢ **अधिनियम की कमियाँ एवं चुनौतियाँ -**

- जन सुनवाई निवास स्थल के नजदीक होती है लेकिन जिम्मेदार अधिकारी समय पर मौजूद नहीं होते हैं।
- अधिकतर मामलों में जनसुनवाई तयशुदा समय में नहीं हो पाती है।
- सुनवाई वाले नियत दिनों में अधिकारी का अनुपस्थित रहना।
- सूचना एवं सुगम केन्द्रों पर उचित सुविधाओं का अभाव।
- नागरिकों में अधिनियम के बारे में जागरूकता का अभाव है।
- पुनरीक्षण के प्रावधान से लोक सेवकों के गलती होने पर भी बच निकलने की संभावना रहती हैं।

➢ **सुधार हेतु सुझाव -**

- अधिनियम में वर्णित वेतन काटे जाने का प्रावधान पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए।
- आर्थिक दंड की कम राशि लोक सुनवाई अधिकारी पर कार्य करने का ज्यादा दबाव नहीं बना पाती, इसलिए आर्थिक दंड को बढ़ाया जाना चाहिए।
- एक पृथक अपीलीय तंत्र बनाया जाना चाहिए ताकि प्राकृतिक न्याय की अवधारणा सुनिश्चित हो सकें।
- सरकारी संस्थाओं एवं विभागों द्वारा नागरिकों हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए।
- अपील करने व सुनवाई की समय सीमा को न्यूनतम किया जाना चाहिए क्योंकि सुनवाई में देरी से सेवा वितरण भी प्रभावित होता है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 91166 91119

- यदि कानूनी क्रियान्वयन में कोई कठिनाई आए तो सरकार द्वारा यथा संभव सुधार या कार्रवाई करनी चाहिए।

➢ **अधिनियम का महत्त्व -**

- पारदर्शी व उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई है।
- लोकसेवकों में भ्रष्टाचार कम तथा उत्तरदायित्व का विकास हुआ है।
- सेवा वितरण तंत्र बेहतर तरीके से काम करने लगा है।
- प्रशासनिक संवेदनशीलता एवं सहानुभूति का विकास हुआ है।
- आम जनता को शिकायत करने हेतु जिला केन्द्र तक यात्रा नहीं करनी पड़ेगी।
- प्रशासन में जन भागीदारी का विकास हुआ है।
- यह लोक सेवकों में प्रतिबद्धता, समयबद्धता एवं कार्यकुशलता सुनिश्चित करता है।

2. 'सुशासन तथा लोक सेवाओं में नैतिकता के लक्ष्य गाँधीजी द्वारा बतायी गई सात सामाजिक बुराइयों की अवधारणा को जानकर प्राप्त किए जा सकते हैं।' विश्लेषण कीजिए।

उ. सुशासन तथा लोक सेवाओं में नैतिकता के लक्ष्य गाँधीजी द्वारा बताई गई सात सामाजिक बुराइयों की अवधारणा से निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं-

- गाँधीजी की दृष्टि में पहला सामाजिक पाप सिद्धांत विहीन राजनीति है यानी वह राजनीति तो तात्विक रूप से अस्तित्व की समझ नहीं रखती है और मनुष्य की सीमाओं को जाने बिना उसे जर्नादन का रूप दे देती है। उसके बाद उस मनुष्य से मनमाना वोट वसूल करती है।
- गाँधीजी की दृष्टि में दूसरा पाप विवेकहीन विलास -इसका तात्पर्य है अंतरात्मा बिना मानव। आप अपने विवेक से खरीदारी नहीं कर रहे हैं कोई और आपको बिना सोचे-समझे बाजार की ओर खींच रहा है।
- गाँधीजी की दृष्टि में श्रमविहीन सम्पत्ति तीसरा सामाजिक पाप है। अर्थात् गाँधीजी जुआ खेलना, चोरी करने को पाप मानते हैं।
- गाँधीजी के अनुसार मानवता विहिन विज्ञान चौथा समाजिक पाप है क्योंकि विज्ञान जीवन की रक्षा की चिंता किए बिना सिर्फ विध्वंस का निर्माता है।
- गाँधीजी ने नीतिविहीन व्यापार को पांचवां सामाजिक पाप कहा है क्योंकि वे मानते थे कि दुनिया में मनुष्य सहित सबका जीवन चलाने के लिए संयम की नीति होनी चाहिए।
- गाँधीजी के अनुसार छठवां सामाजिक पाप त्याग के बिना पूजा अर्थात् मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए नहीं तो वह प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाएगा तथा धर्म को पाखण्ड में बदल देगा।
- गाँधीजी चरित्रविहीन शिक्षण को सातवां पाप मानते हैं अर्थात् अगर कोई शिक्षा मनुष्य के चरित्र का निर्माण करती है तो वह स्वाधीन मनुष्य की बजाए एक गुलाम मनुष्य को निर्मित करेगी।

3. किसी जिले में कानून एवं व्यवस्था के संधारण हेतु जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की भूमिकाओं का विश्लेषण कीजिए।

उ. किसी जिले में कानून एवं व्यवस्था के संधारण हेतु जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की भूमिका -

जिला कलेक्टर की भूमिका –

- शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका, सीआरपीसी की धारा- 144 लागू करता है।
- कैदियों को पैरोल पर छोड़ने की अनुमति देता है। जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखता है।
- जेलों का निरीक्षण करना व सुधार के लिए आवश्यक निर्देश देता है।
- सरकार को वार्षिक आपराधिक रिपोर्ट पेश करता है।
- शस्त्र, होटल, विस्फोटक पदार्थों के लाइसेंसों की अनुमति व नियंत्रण करना, जिला पुलिस को नियमित व निर्देशित करता है।
- जिले में असामान्य धरना-प्रदर्शन होने पर सुरक्षा बल की तैनाती करता है।
- मनोरंजन व प्रेस एक्ट के प्रावधान लागू करवाता है।

पुलिस अधीक्षक की भूमिका –

- जिला कलेक्टर के साथ मिलकर कानून-व्यवस्था बनाए रखता है।
- अपराध पर नियंत्रण स्थापित करता है, धरना स्थल का दौरा करता है तथा समुचित कार्यवाही का निर्देश देता है।
- अन्य प्रशासनिक विभागों के साथ समन्वय बनाए रखता है।
- गंभीर अपराधों पर नियंत्रण रखता है और उन पर नियंत्रण की प्रगति रिपोर्ट गृह विभाग को देता है।
- थाना, चौकी का नियंत्रण व निरीक्षण करता है।
- जिले के लोगों के साथ सामंजस्य बनाए रखता है।
- जिला पुलिस का नेतृत्व करता है।

2023

1. Describe the formula of Graicunaz propounded for calculation of span of control and give mathematical solution of a situation when number of relations is 5.

नियंत्रण के क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रतिपादित ग्रेकुनाज के फॉर्मूले का वर्णन कीजिए तथा यदि सम्बन्धों की संख्या 5 हो तो गणितीय हल कीजिए।

उत्तर- नियंत्रण का क्षेत्र (Principla of 'span of control') से तात्पर्य कर्मचारियों की उस संख्या से है जो एक अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करती है। ग्रेकुनाज (Graicunas) जो इस सिद्धान्त के प्रतिपादक भी हैं, का कहना है कि "कोई भी अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से पाँच और अधिक से अधिक छः अधीनस्थों से अधिक का निरीक्षण एवं नियंत्रण नहीं कर सकता है।"

- **प्रसिद्ध विचारक वी. ए. ग्रेकुनाज** ने 1933 में अधीनस्थों की संख्या के संबंध में एक सूत्र प्रतिपादित किया।
  1. प्रत्यक्ष एक सम्बन्ध = n
  2. प्रत्यक्ष समूह सम्बन्ध = $n(\frac{2^n}{2} - 1)$
  3. आड़े-तिरछे सम्बन्ध या त्रियक संबंध = $n(n-1)$
- n = अधीनस्थों की संख्या को दर्शाता हैं
- यदि अधीनस्थों की संख्या 5 है तो $(n = 5)$
- इसे स्पष्ट करने के लिए ग्रेकुनाज ने यह गणितीय सूत्र सुझाया था।
- कुल अधीनस्थों की संख्या = $n\,(\frac{2^n}{2} + n - 1)$
- कुल अधीनस्थों की संख्या = 5 $(\frac{2^5}{2} + 5 - 1)$
- कुल अधीनस्थों की संख्या = 5 $(\frac{32}{2} + 5 - 1)$
- कुल अधीनस्थों की संख्या = 5 $(16 + 5 - 1)$
- कुल अधीनस्थों की संख्या = 5 $(21 - 1)$
- कुल अधीनस्थों की संख्या = 5 × 20 = 100
- अर्थात कोई भी कर्मचारी 5 अधीनस्थों की स्थिति में 100 संबंधों पर सक्रिय रूप से ध्यान दे सकता है।
- अत: अधीनस्थों की संख्या में वृद्धि होने पर गुणात्मक तथा सामूहिक संबंध बढ़ते हैं। इसलिए संबंधों की संख्या, घातीय अनुपात में बढ़ती है।
- ग्रेकुनाज ने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि अधीनस्थों की आदर्श संख्या 5 ही होनी चाहिए और कोई भी कर्मचारी 5 अधीनस्थों की स्थिति में 100 सम्बन्धों पर सक्रिय रूप से ध्यान दे सकता है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 91166 91119

2. Critically analyse the forms and methods of judicial control in India.
भारत में न्यायिक नियंत्रण के रूप तथा प्रणालियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

उत्तर- न्यायिक नियंत्रण की प्रणाली लोकतांत्रिक तंत्र का अभिन्न हिस्सा है, जो यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका और कार्यपालिका संविधान के दायरे में काम करें। भारत में न्यायिक नियंत्रण के रूप-भारत में न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक व्याख्या एवं प्रशासनिक निर्णयों, नियमों या उपनियमों की जाँच को न्यायिक नियंत्रण कहा जाता है।

- भारतीय संविधान में न्यायिक नियंत्रण के अधिकारों को संविधान के अनुच्छेद 13 से लेकर अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 तक स्पष्ट किया गया है।
- **न्यायिक नियंत्रण के प्रकार**
- **संविधानिक न्यायिक नियंत्रण-** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून जो संविधान के खिलाफ हो, उसे रद्द किया जा सकता
- **मूल अधिकारों की रक्षा-** अनुच्छेद 32 और 226 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वे नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो न्यायालय उसे प्रभावी रूप से लागू करने का आदेश दे सकते हैं।
- **कानूनों की वैधता की समीक्षा-** न्यायालय यह तय करते हैं कि कोई नया या पुराना कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। यदि किसी कानून में संविधान के विपरीत कोई प्रावधान है, तो न्यायालय उसे रद्द कर सकते हैं।
- **न्यायिक सक्रियता और निष्क्रियता-** भारत में न्यायिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण पहलू न्यायिक सक्रियता और निष्क्रियता का विवाद है। जब न्यायालय सत्ता के विभिन्न अंगों को उनके कार्यों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है, तो इसे सक्रियता कहा जाता है। इसके विपरीत, जब न्यायालय ने निष्क्रिय रहते हुए राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप से बचने का प्रयास किया, तो इसे निष्क्रियता माना जाता है।
- **न्यायिक नियंत्रण की आलोचना**
  - विधायिका और कार्यपालिका में हस्तक्षेप
  - न्यायिक अधिकारों का अति प्रयोग
  - न्यायपालिका का अपराधिकरण
  - समय और संसाधनों की कमी
- भारत में न्यायिक नियंत्रण एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो संविधान की रक्षा, मूल अधिकारों की सुरक्षा, और लोकतांत्रिक प्रणाली के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। हालांकि, इसे लेकर आलोचनाएँ भी हैं, लेकिन इसका उद्देश्य केवल संविधान की सर्वोच्चता और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। न्यायिक सक्रियता और निष्क्रियता के बीच संतुलन बनाए रखना, न्यायिक नियंत्रण की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

3. Discuss the main points of he conflict bewtween Gneralists V/s Specialists. Also mention the recommendations given by First ARC in this regard.
सामान्यज्ञों बनाम विशेषज्ञों के मध्य टकराव के प्रमुख बिन्दुओं की विवेचना कीजिए। साथ ही इस क्रम में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों का वर्णन कीजिए।

उत्तर- सामान्यज्ञों बनाम विशेषज्ञों के मध्य टकराव के प्रमुख कारण निम्नलिखित है :-

(1) सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञ के मध्य विवाद का मुख्य कारण सामान्यज्ञों को प्रशासन में प्राप्त उच्च स्थिति, सम्मान, अधिक वेतन और पदोन्नति के अवसर है।
(2) भारत में केन्द्रीय एवं राज्य प्रशासन में नीति-निर्धारण एवं निर्णय सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण पदों पर सामान्यज्ञों का आधिपत्य है, जबकि विशेषज्ञों की नियुक्ति क्षेत्रीय प्रशासन में कम महत्त्वपूर्ण पदों पर की जाती है।
(3) विशेषज्ञ सेवाओं के लिए निर्धारित पदों पर सामान्यज्ञों की नियुक्ति की बढ़ती हुई प्रवृति, दोनों के मध्य विवाद का अन्य प्रमुख कारण है।
(4) अनेक क्षेत्रों में विशेषज्ञों को सामान्यज्ञों के अधीन रहकर कार्य करना होता है।

समाधान :

प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966 - 1968)

- **अध्यक्ष –** मोरारजी देसाई / के. हनुमंथैया

सुझाव -

- अखिल भारतीय सेवाओं को क्रियाशील कर उन्हें कार्यमूलक बनाया जाए।
- सेवाओं को कार्यात्मक एवं गैर कार्यात्मक दो रूपों में विभाजित किया जाए ।
- उच्च सेवाओं के पदों को क्षेत्र पद (तकनीकी योग्यताधारी) एवं मुख्यालय पदों में बाँटा जाना चाहिए।
- तार्किक वेतन प्रणाली को अपनाया जाए ।
- लोक उद्यमों में निदेशक के पद पर सामान्यज्ञों की नियुक्ति प्रथा को समाप्त किया जाए।

मुख्य परीक्षा 2024

1. 'शास्त्रीय सिद्धान्त लोकोक्तियाँ व मिथ्य हैं।' इस कथन के प्रकाश में पदसोपान एवं नियन्त्रण के क्षेत्र के विरोधाभास को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-

– शास्त्रीय सिद्धान्त लोकोक्तियाँ व मिथ्या हैं" का तात्पर्य यह है कि प्रशासनिक शास्त्रीय सिद्धान्त आदर्श स्थिति का वर्णन करते हैं, लेकिन व्यवहार में वे पूर्णतः लागू नहीं हो सकते। प्रशासनिक पदसोपान (पदानुक्रम) और नियंत्रण के क्षेत्र (नियंत्रण की अवधि) में यह विरोधाभास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

पदसोपान का विरोधाभास-

– **शास्त्रीय दृष्टिकोण:** पदसोपान एक संरचनात्मक संरचना है जिसमें अधिकार और उत्तरदायित्व ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं। निर्णय लेने की शक्ति शीर्ष पर केंद्रित रहती है और निचला स्तर केवल अनुपालन करते हैं।
– **विरोध:** इस संरचना से सर्वोच्च अधिकारी और कर्मचारियों के बीच दूरी बढ़ जाती है। कर्मचारियों की समस्याएँ कई स्तरों से गुजरकर शीर्ष तक पहुँचती हैं, जिससे प्रक्रिया लंबी और धीमी हो जाती है।
– **परिणाम:** प्रत्यक्ष संचार और समन्वय बाधित होता है, जिससे प्रशासनिक ढिलाई और अकुशलता उत्पन्न होती है।

नियंत्रण का विरोधाभास-

– **शास्त्रीय दृष्टिकोण:** नियंत्रण ऊपर से नीचे होता है। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कर्मचारी नियम और मानदंडों के अनुसार कार्य करें।
– **विरोध:** यह केंद्रीकृत नियंत्रण आधुनिक संगठनों की आवश्यकताओं के विपरीत है। शास्त्रीय सिद्धान्त पदसोपान और केंद्रीकृत नियंत्रण पर आधारित स्थिर संरचना का समर्थन करते हैं, जबकि आधुनिक प्रशासन विकेंद्रीकरण, प्रत्यक्ष संचार और

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 91166 91119

द्विपक्षीय नियंत्रण की मांग करता है। यही विरोधाभास इस कथन को सिद्ध करता है कि "शास्त्रीय सिद्धान्त लोकोक्तियाँ व मिथ्या हैं। वे दिशानिर्देश तो हैं, लेकिन व्यवहार में अव्यावहारिक सिद्ध होते हैं।

- पदसोपान, नियंत्रण के क्षेत्र का आदर्श विरोधाभासी बन सकता है, क्योंकि आदेश और नियंत्रण का तंत्र हमेशा कर्मचारियों की वास्तविक प्रतिक्रियाओं और परिस्थितियों के अनुरूप नहीं होता।
- इसलिए, संगठनात्मक प्रबंधन में लचीलापन, कर्मचारी सहभागिता, व्यवहारिक दृष्टिकोण और प्रभावी संचार और सूचना प्रणाली आवश्यक हैं, केवल शास्त्रीय नियम पर्याप्त नहीं।
- निष्कर्षत: शास्त्रीय सिद्धान्तों के आदर्श और वास्तविक व्यवहार के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है, जिससे संगठनात्मक नियंत्रण अधिक प्रभावी और व्यवहार-सम्मत बनता है।

2. वेबर एवं बर्नार्ड की वैधता की अवधारणाएँ किस प्रकार से भिन्न हैं?

उत्तर- मैक्स वेबर एवं बर्नार्ड की अवधारणा में भिन्नता

आधार	मैक्स वेबर	बर्नार्ड
उद्देश्य	समाज और राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता का व्यापक आधार	संगठन के भीतर प्रबंधन, संचार और सहयोग
वैधता का आधार	सत्ता के स्रोत: परंपरा, करिश्मा, कानून	अधीनस्थ/कर्मचारी की व्यक्तिगत स्वीकार्यता
वैधता उद्भव	शासन/प्राधिकरण की सामाजिक मान्यता से	आदेश की स्वीकृति और सहयोग की इच्छा से
दृष्टिकोण का प्रकार	प्रणाली-आधारित (सिस्टम ओरिएन्टेड)	व्यवहार-आधारित (बिहेवीयर ओरिएन्टेड)
प्रकृति	स्थिर, संरचनात्मक, आदर्श	गतिशील, व्यक्तिपरक और स्थितिजन्य
मुख्य तत्व	परंपरागत, करिश्माई और विधि-तर्कसंगत सत्ता	स्वीकार्यता या उदासीनता क्षेत्र
सत्ता/आदेश का आधार	बाहरी स्वीकृति: परंपरा, करिश्मा, कानून	आंतरिक स्वीकृति: आदेश का तर्कसंगत होना
अनुयायियों/कर्मचारियों की भूमिका	सत्ता को वैध मानकर पालन करना	आदेश को समझकर, प्रसंगिगता जाँचकर, स्वेच्छा से स्वीकार करना
प्रभाव क्षेत्र	राज्य, समाज, राजनीति	प्रशासन, संगठन, व्यवसाय
बल	प्राधिकार (Authority)	स्वीकार्यता (Acceptance)
केंद्रबिंदु	सत्ता की प्रकृति और वैधता	आदेश की वैधता और उसकी स्वीकार्यता

3. 'राज्यपाल की संस्था को मध्याह्न के समय पूर्णिमा के चाँद की सी धुँधली उपस्थिति के रूप में देखना एक घोर भ्रांति होगी।' चर्चा कीजिए।

उत्तर- 'राज्यपाल की संस्था को मध्याह्न के समय पूर्णिमा के चाँद की सी धुँधली उपस्थिति के रूप में देखना एक घोर भ्रांति होगी।' यह उपमा यह संकेत देती है कि राज्यपाल केवल औपचारिक पद है, जिसकी कोई वास्तविक शक्ति या प्रभाव नहीं है। लेकिन भारतीय संविधान में राज्यपाल की भूमिका इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण और सक्रिय है।

संवैधानिक स्थिति-

- राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।
- वह राज्य सरकार की कार्यपालिका का प्रमुख है और मंत्रिपरिषद उसकी सहायता एवं सलाह से कार्य करती है।
- किसी विधेयक पर मंजूरी न देने या उसे वापस भेजने का अधिकार।
- वह सुझावों को स्वीकार करता है और कुछ मामलों में राष्ट्रपति की अनुमति हेतु आरक्षित कर सकता है।

व्यावहारिक भूमिका-

- राज्यपाल संकट की स्थिति में उत्तरदायी भूमिका निभाता है:
  1. बहुमत सिद्ध करने का प्रश्न
  2. राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा व राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना (Article 174, 163)।
  3. संवैधानिक अंग के विफल होने पर कदम उठाना, जैसे; विधानसभा का विघटन (Article 174)।
  4. माफ़ी या क्षमादान शक्ति (Article 161)।
- वह राज्य और केंद्र के बीच सेतु का कार्य करता है।
- राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में शिक्षा क्षेत्र में भी उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है।
- राज्यपाल की संस्था केवल पूर्णकालिक नहीं है। यद्यपि अधिकांश कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर होते हैं, फिर भी संवैधानिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता या प्रशासनिक विफलता की स्थिति में राज्यपाल की भूमिका निर्णायक और सक्रिय हो जाती है। इसलिए इसे धुँधली उपस्थिति के रूप मे दर्शाना अप्रासंगिक है; राज्यपाल भारतीय संघीय ढाँचे में एक आवश्यक और प्रभावशाली संवैधानिक अंग है।

❑❑❑

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 91166 91119